

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)



क्रमांक: डीसीडीसी/2019/2566

05 अप्रैल 2019

: अधिसूचना :

1. विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा परिनियम क्र. 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कमी की पूर्ति नहीं की जा रही है। अतः संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय परिनियम क्रमांक 28(कॉलेज कोड) का पालन करते हुए यू.जी.सी. के मानदण्डों/केन्द्रीय परिषद आदि के नियमों के अनुसार प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्तियाँ किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में परिनियम क्र. 28(कॉलेज कोड) के तहत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति निम्नानुसार होगी:-


प्राचार्य हेतु:-

- | | | |
|----|---|----------|
| 1- | Kulpati or his Nominee | |
| 2- | One nominee of the Management | Chairman |
| 3- | Director, College Development Council, Vishwavidyalaya | Member |
| 4- | Minority Community Expert
(nominated by the Kulpati) | Member |

शिक्षकों हेतु:-


- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1- | Kulpati or his Nominee | |
| 2- | One Nominee of the Management from amongst
its members, who are not teachers | Chairman
Member |
| 3- | One Expert in the subject concerned
nominated by the Kulpati. | Member |
| 4- | Principal of the Institution. | |
| 5- | Minority Community Expert
(nominated by the Kulpati) | Member/Secretary
Member |

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. अध्यक्ष, शासी निकाय, समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
- ✓ 3. प्रभारी, वेबसाइट विश्वविद्यालय- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित
4. कुलपति जी के निजी सचिव- कुलपति महोदय के सूचनार्थ
5. कुलसचिव जी के निजी सहायक
6. कार्यालयीन नस्ती


कुलसचिव